



Neutral Citation No. - 2026:AHC:50089

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 2526 वर्ष 2026

कांस्टेबल फायरमैन विजय पाल और 6 अन्य

.....याची(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 9 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याची(गण) के अधिवक्ता : अरविन्द कुमार तिवारी .

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : सी. एस. सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय विकास बुधवार, न्यायमूर्ति

1. रिट याचियों के विद्वान अधिवक्ता श्री ए. के. तिवारी और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री राहुल मालवीय को सुना।
2. रिट याचीगण भूतपूर्व सैनिक होने का दावा करते हैं जो ऐसे सैनिक हैं जिन्हें सेवा से सेवामुक्त कर दिया गया था और उन्होंने कांस्टेबल फायरमैन के पद पर भर्ती के अनुसरण में आवेदन किया था, वे सेना में प्रदान की गई सेवाओं को ध्यान में रखते हुए संरक्षण की मांग करते हैं।
3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि रिट याचियों के दावे के लिए प्रथमतः द्वितीय प्रत्यर्थी, अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, उत्तर प्रदेश पुलिस (कार्मिक), लखनऊ द्वारा न्यायनिर्णयन की आवश्यकता है।
4. बार के समक्ष इस प्रकार किए गए निवेदन पर विचार करते हुए, रिट याचियों को **27.03.2026** तक द्वितीय प्रत्यर्थी, अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, उत्तर प्रदेश पुलिस (कार्मिक),

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



लखनऊ के समक्ष रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का निर्देश देते हुए रिट याचिका निस्तारित की जाती है। तत्पश्चात, द्वितीय प्रत्यर्थी चार माह की अवधि के भीतर रिट याचियों के दावे का निर्णय करेगा।

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

11 मार्च, 2026

राजेश

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।